उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी

विषय सूची

होम पेज: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2

चरण 1: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीयन 3

चरण 3: पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन 4

चरण 3: योजना खोज 5

चरण 4: आधार ई-प्रमाणीकरण 8

चरण 5: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 9

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना 10

चरण 7: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना 11

चरण 8: शुल्क का भुगतान 0

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना 1

होम पेज: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में टाइप करें

cgedistrict.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का होम पेज खुलेगा।

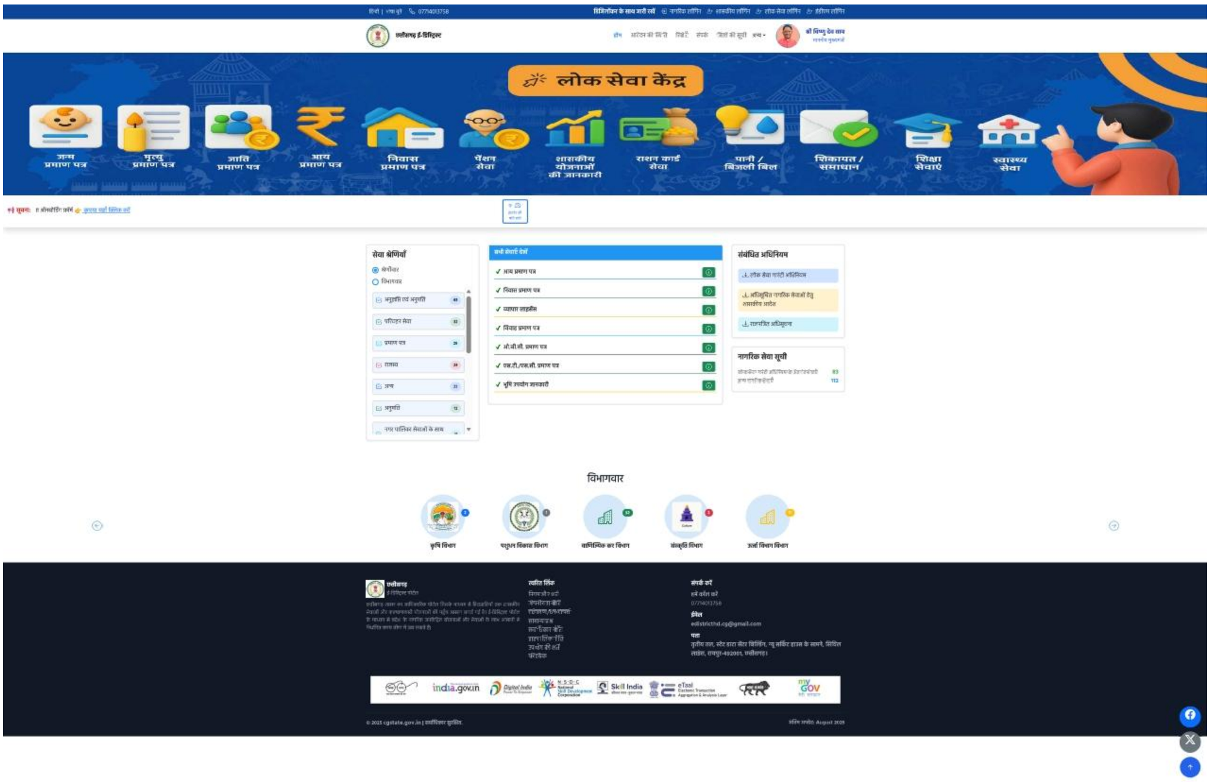

चित्र क्रमांक 1

चरण 1: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीयन

अगर आप नए यूज़र हैं तो छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया द्वारा रजिस्टर करें।

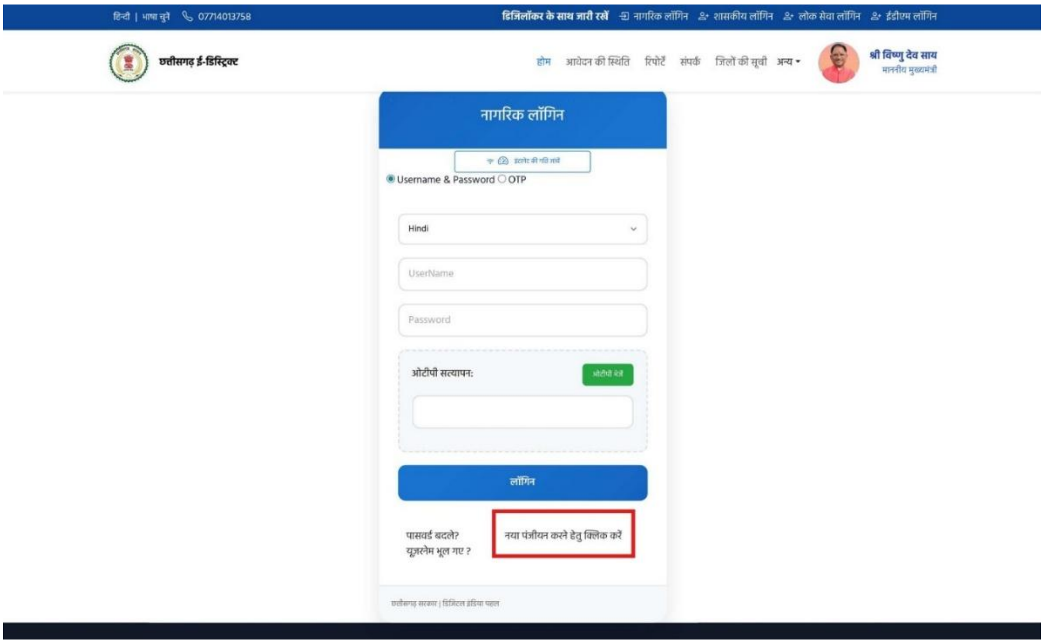

चित्र क्रमांक 2

चरण 1.1: नए पंजीयन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करें, निम्नानुसार नागरिक पंजीकरण पेज खुलेगा।

चित्र क्रमांक 3

चरण 1.2: नागरिक पंजीकरण पेज पर आवेदक उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें।
चरण 1.2: फॉर्म में पूछी गई ज़रुरी जानकारियाँ दर्ज करें।
चरण 1.2: "जमा करें" बटन पर क्लिक करें। इस तरह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

चरण 3: पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन

निम्न प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन करें।

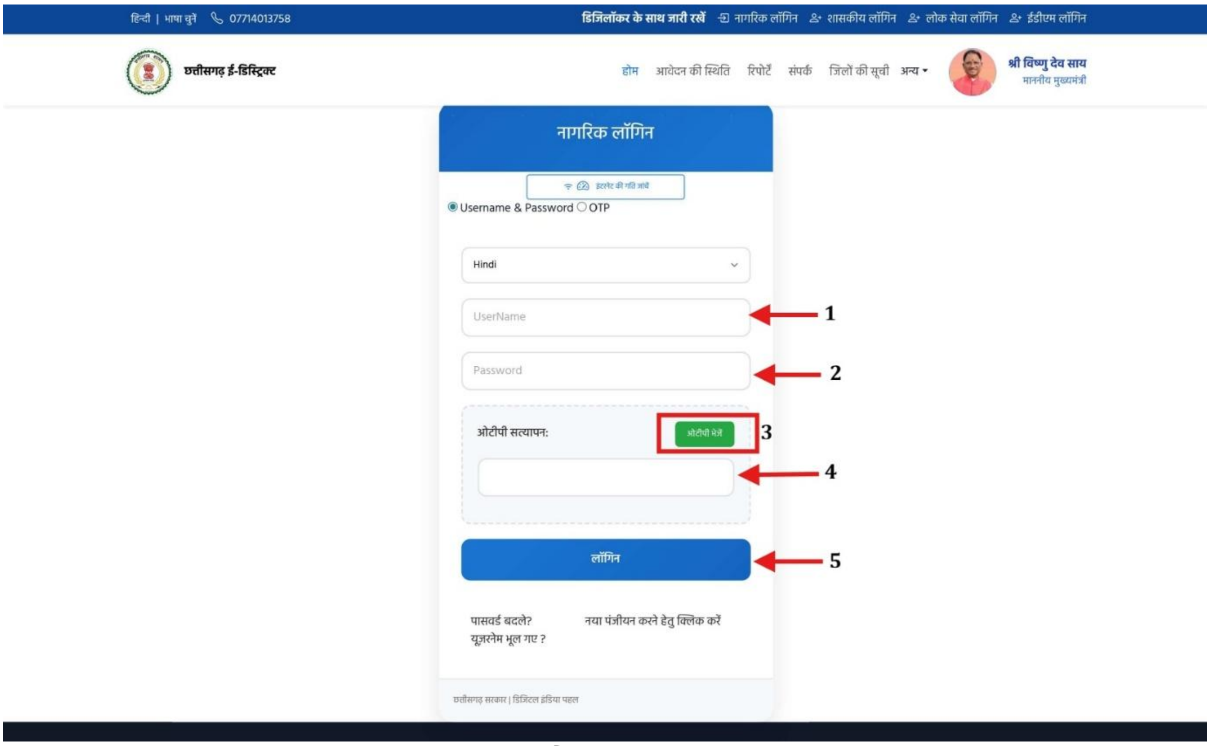

चित्र क्रमांक 4

1. **यूज़रनेम** दर्ज करें।
2. **पासवर्ड** दर्ज करें।
3. ***"ओटीपी भेजें"*** पर क्लिक करें।
4. अपने पंजीकृत नंबर पर प्राप्त ओटीपी यहाँ दर्ज करें।
5. **लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: योजना खोज

चरण 3.1: योजना खोज पेज में दी गई जानकारी भरें।
चरण 3.2: खोजें पर क्लिक करें।

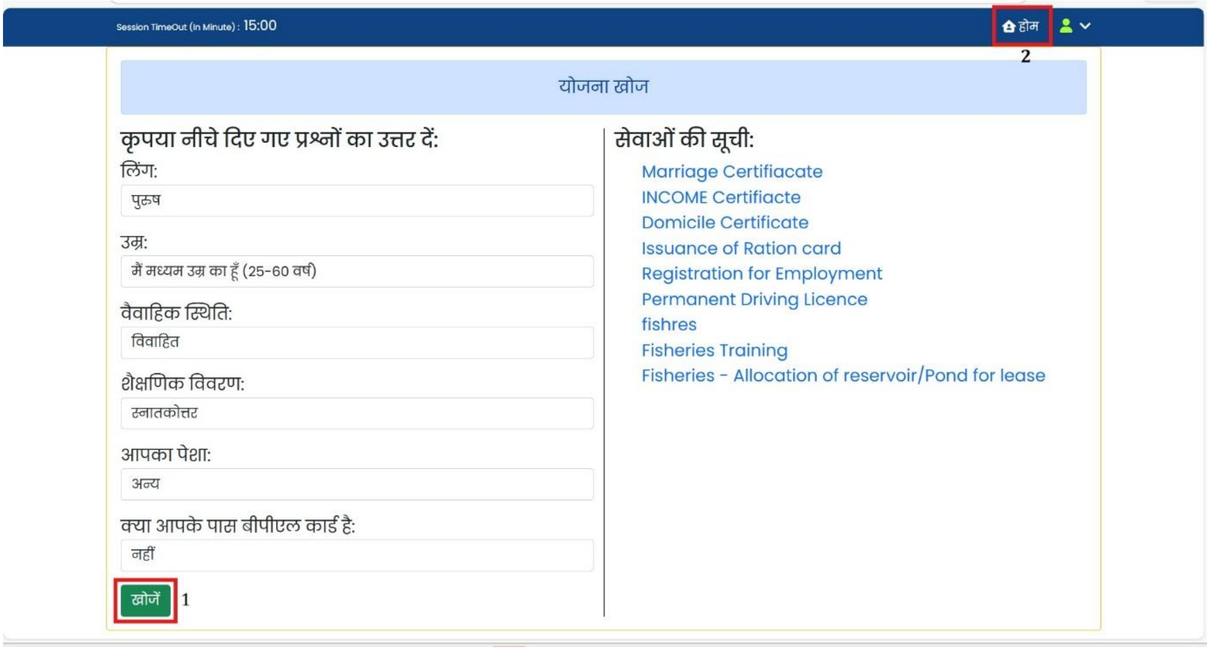

चित्र क्रमांक 5

चरण 3.3: सेवाओं की सूची खुलेगी। इसमें **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र** देखें।
चरण 3.4: यदि यह सेवा सूची में शामिल नहीं है तो ऊपर दिए गए **होम** बटन पर क्लिक करें। निम्नानुसार पेज खुलेगा।

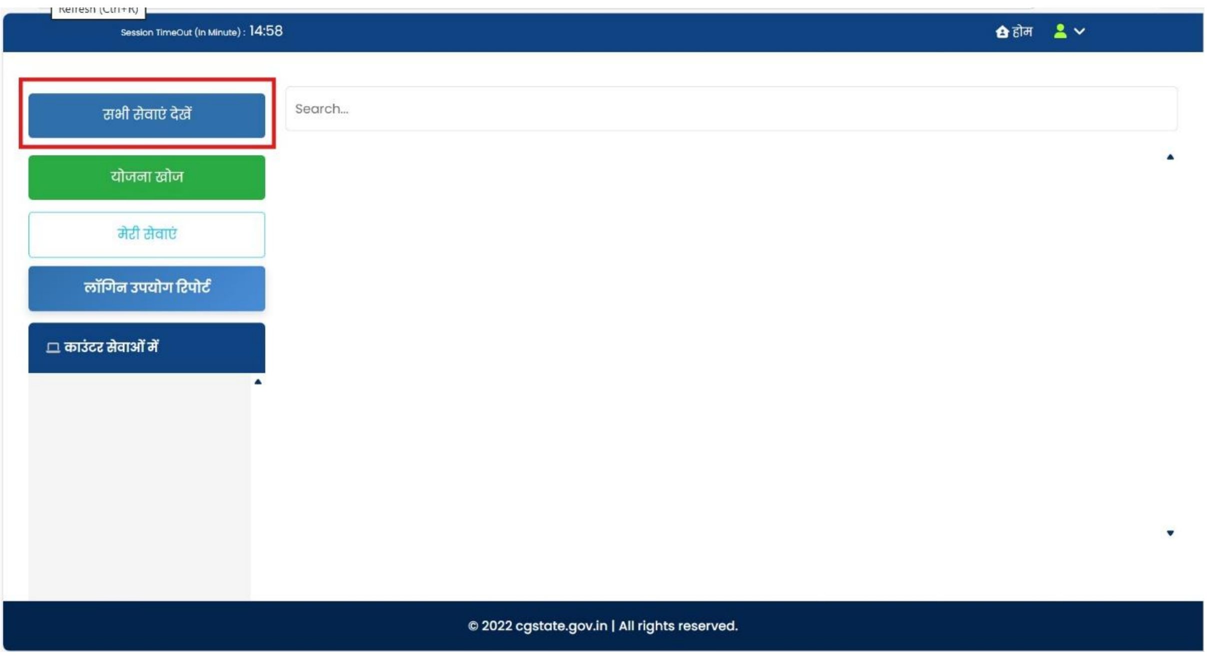

चित्र क्रमांक 6

चरण 3.5: इस पेज पर **"सभी सेवाएँ देखें"** पर क्लिक करें। सेवाओं की सूची खुलेगी।

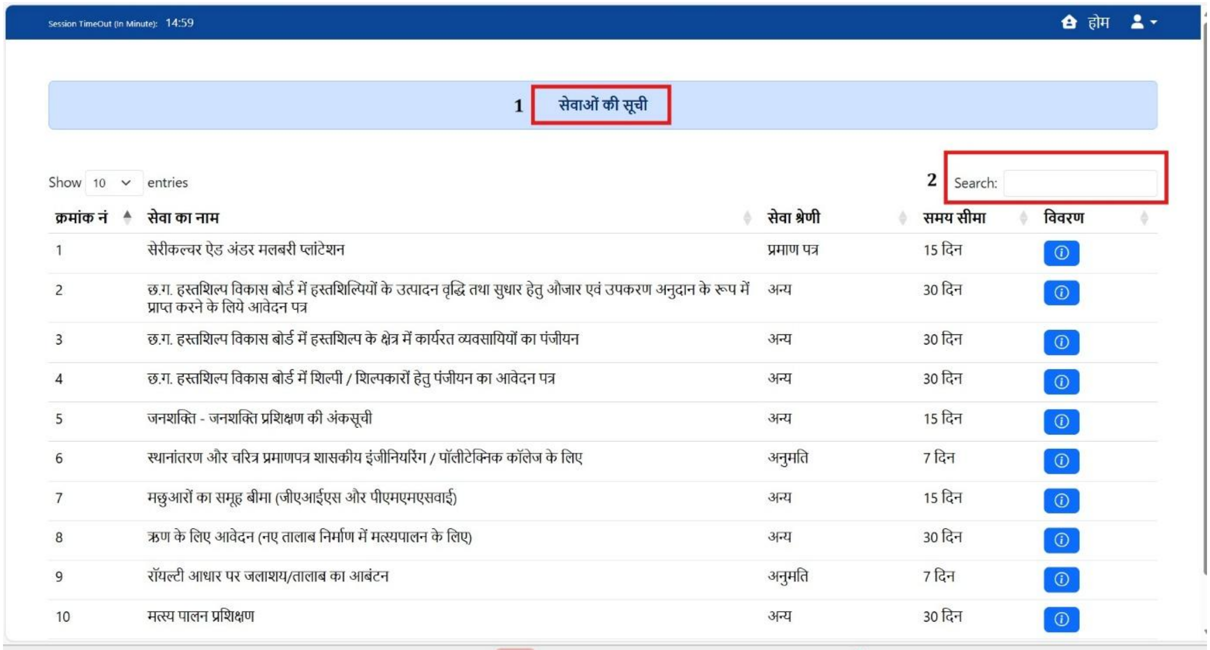

चित्र क्रमांक 7

चरण 3.6: सेवाओं की सूची में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र खोजने के लिए सर्च बार में सेवा का नाम टाइप करें।

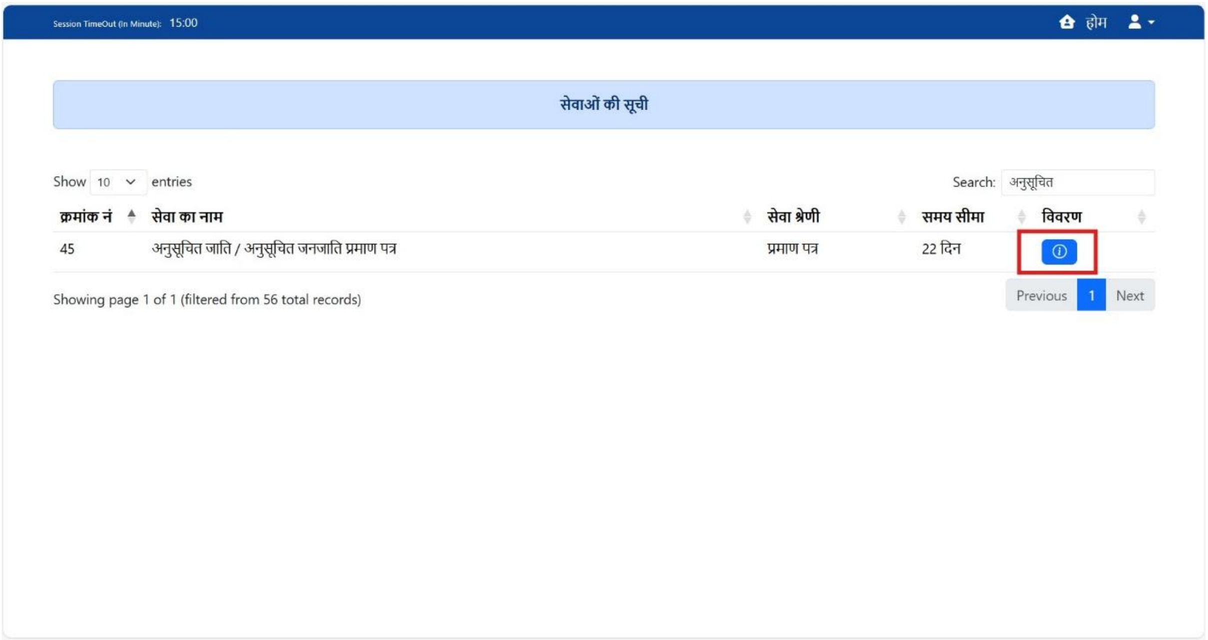

चित्र क्रमांक 8

चरण 3.7: अब चित्र क्रमांक 8 के अनुसार **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र** के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करें। निम्नानुसार पेज खुलेगा

Session TimeOut (In Minute): 14:59 होम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
राजस्व विभाग

आगे

इस पेज को छोड़े

परिचय

अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए सरकार द्वारा शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति से संबंधित एवं अन्य कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। शासन की सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। अब छत्तीसगढ़ में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से यह प्रमाण पत्र आसानी से समय सीमा में बनवाया जा सकता है।

प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम व्यक्तिगत विवरण के साथ पंजीकरण करना होता है। इसके लिए वे लोक सेवा केंद्र (एलएसके) अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया - आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जाकर 'एससी/एसटी प्रमाणपत्र' सेवा का चयन करें। प्रस्तुत आवेदन पत्र भरें और उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन जमा करने के पश्चात् एक विशिष्ट पावती संख्या (एआरएन) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या की सहायता से आवेदक आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

जब आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो एसएमएस के माध्यम से सूचना दे दी जाती है। आवेदक पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त एससी/एसटी प्रमाणपत्र सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र स्थायी रूप से मान्य रहता है, जब तक कि जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। इसे राज्य भर में सभी सरकारी व कानूनी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

लोक सेवा केंद्र	₹30.0
ऑनलाइन	₹30.0

संपर्क

लोक सेवा केंद्र

समय सीमा

22 दिन

चित्र क्रमांक 9

चरण 3.7: आधार ई-प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए **आगे** बटन पर क्लिक करें।

इस पेज पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची देखी सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

क्रम सं	दस्तावेज़ प्रकार	सहायक दस्तावेज	अनिवार्य प्रारूप
1	निवास का प्रमाण	मूल निवासी प्रमाण पत्र बिजली का बिल राशन कार्ड टेलीफोन बिल जन्म प्रमाण पत्र वोटिंग कार्ड बी.पी.एल. प्रमाण पत्र घर या भूमि का दस्तावेज़ ड्राइविंग लाइसेंस अन्य वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्रमाण पत्र फोटो परिचय पत्र पिता / पालक की नौकरी का प्रमाण - पत्र अनैच्छिक प्रवजन का आदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र	नहीं
2	जाति का प्रमाण	अन्य राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाणपत्र सरपंच / पार्षद / विधायक / साँसद से जाति प्रमाण-पत्र प्राथमिक शाला या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्राथमिक शाला द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र आवेदक को या उसके किसी परिवारजन को जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र जन्म सूचना प्रपत्र मिसल अधिकार अभिलेख जमाबंदी १९३१ का जनगणना पंजी १९५९ का नागरिक पंजी दाखिल / ख़ारिज पंजी असमर्थता / अनुपलब्धता का प्रमाण	हाँ

चित्र क्रमांक 10

चरण 4: आधार ई-प्रमाणीकरण

आधार ई-प्रमाणीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

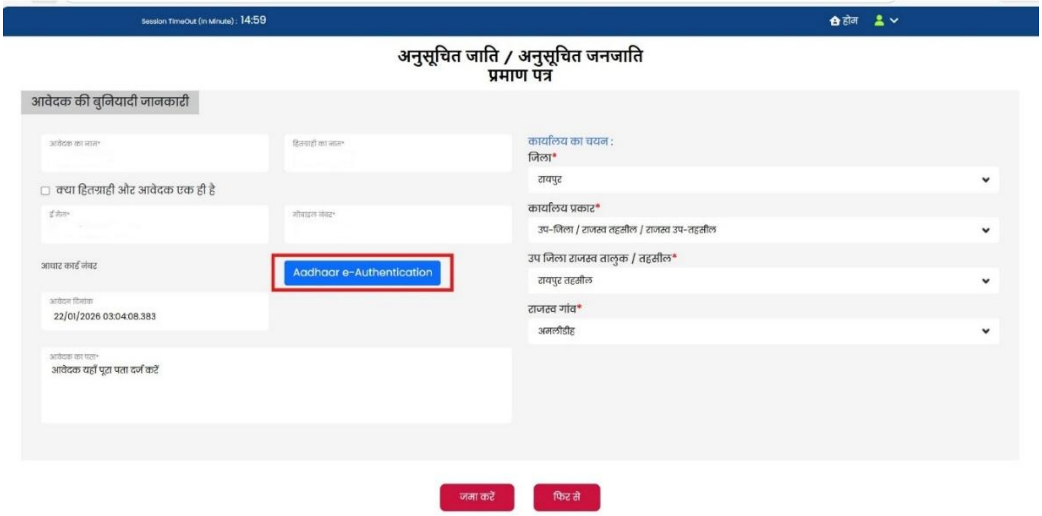

चित्र क्रमांक 11

चरण 4.1: फॉर्म में पूछी गई जानकारियाँ दर्ज कर ***Aadhaar e-Authentication*** पर क्लिक करें। निम्नानुसार एक पॉप-अप विंडो खुलेगा।

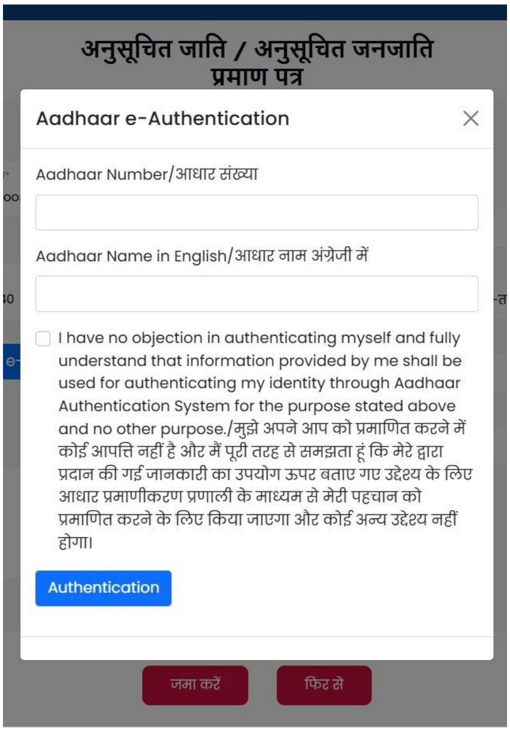

चित्र क्रमांक 12

चरण 4.2: आधार का विवरण भरें।

चरण 4.3: सहमति देने के लिए निर्धारित बॉक्स पर क्लिक करें।

चरण 4.4: जानकारी भरकर ***Authentication*** बटन पर क्लिक करें।

चरण 4.5: चित्र क्रमांक 11 के अनुसार पेज पर दिए गए **जमा करें** बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

चरण 5.1: आवेदन फॉर्म में सामान्य विवरण और वर्तमान पता दर्ज करें।

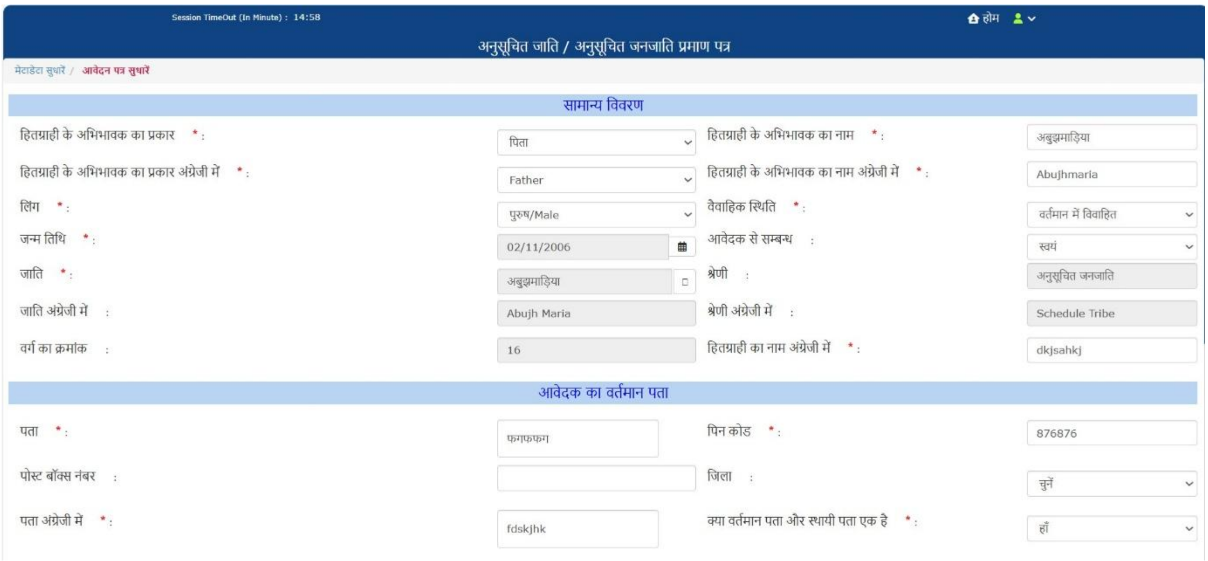

चित्र क्रमांक 13

चरण 5.2: स्थायी पते का विवरण दर्ज करें, **सहेजें और पूर्वावलोकन** बटन पर क्लिक करें।

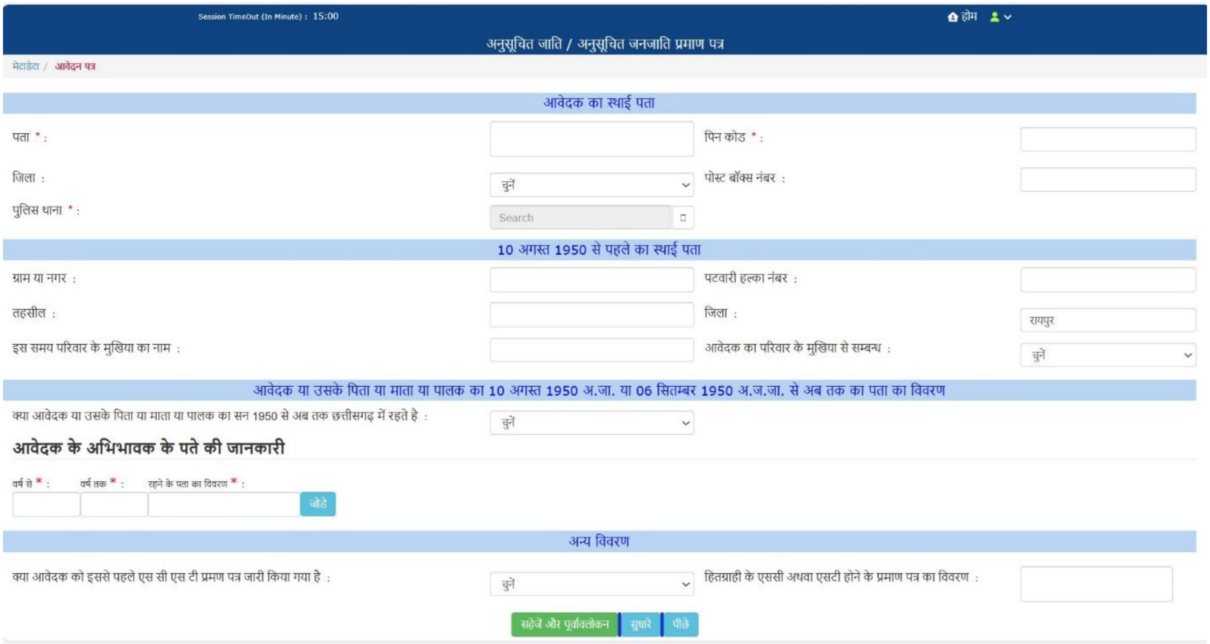

चित्र क्रमांक 14

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना

अनुलग्रक का विवरण पेज खुलेगा, इसमें आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें।

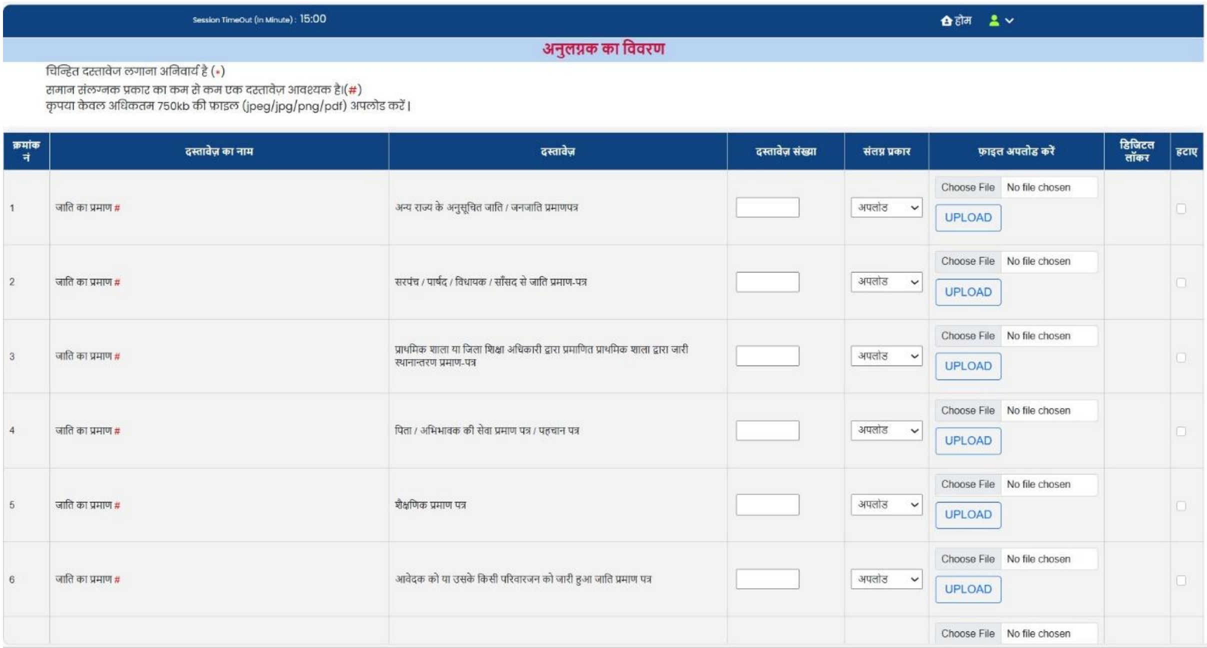

चित्र क्रमांक 15

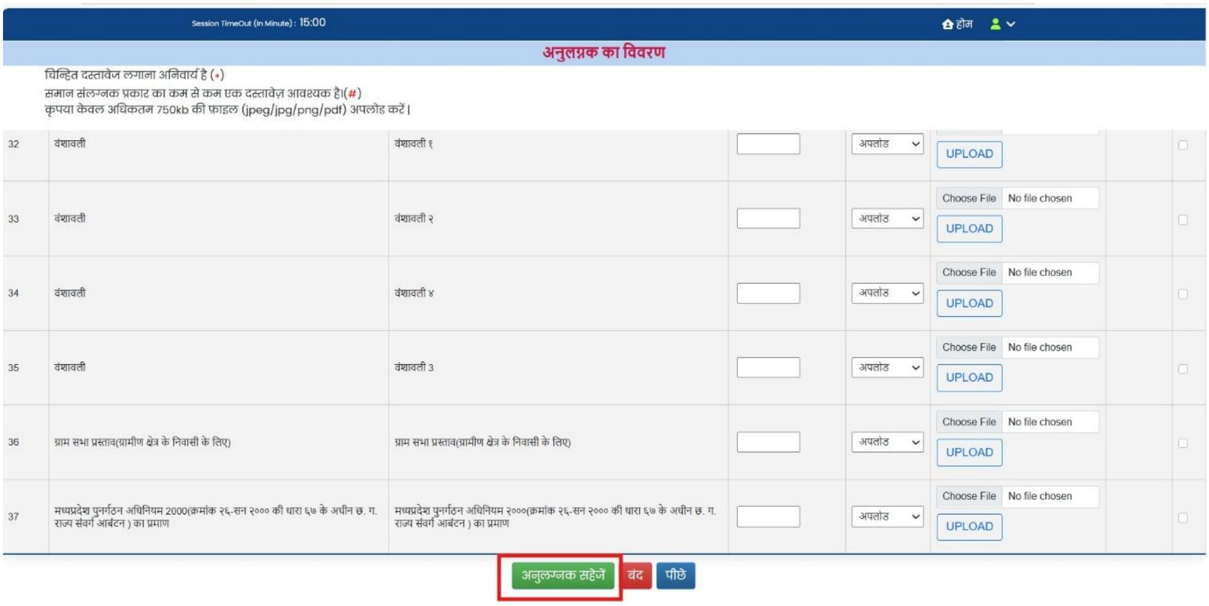

चित्र क्रमांक 16

चरण 6.1: "***Choose File***" पर क्लिक कर अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप से दस्तावेज की स्कैन कॉपी चुनें।

चरण 6.2: फाइल सलेक्ट करने के बाद ***"UPLOAD"*** पर क्लिक करें।

चरण 6.3: दस्तावेज अपलोड करने के बाद **"अनुलग्रक सहेजें"** पर क्लिक करें।

चरण 6.4: पुष्टिकरण के लिए डॉयलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे **ओके** कर दें।

चरण 7: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना

शुल्क के भुगतान के पश्चात् निम्न चित्रानुसार पेज खुलेगा।

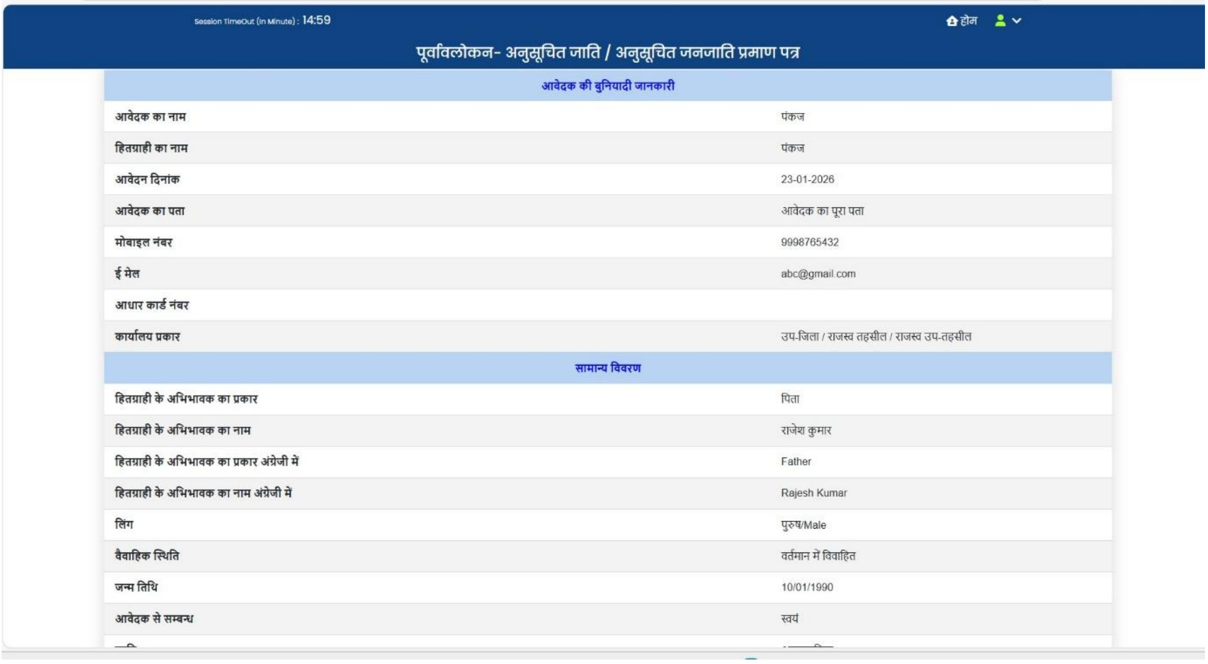

Session TimeOut (in Minute) : 14:59

होम

पूर्वावलोकन- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

आवेदक की बुनियादी जानकारी	
आवेदक का नाम	पंकज
हितग्राही का नाम	पंकज
आवेदन दिनांक	23-01-2026
आवेदक का पता	आवेदक का पूरा पता
मोबाइल नंबर	9998765432
ई मेल	abc@gmail.com
आधार कार्ड नंबर	
कार्यालय प्रकार	उप-जिला / राजस्व तहसील / राजस्व उप-तहसील
सामान्य विवरण	
हितग्राही के अभिभावक का प्रकार	पिता
हितग्राही के अभिभावक का नाम	राजेश कुमार
हितग्राही के अभिभावक का प्रकार अंग्रेजी में	Father
हितग्राही के अभिभावक का नाम अंग्रेजी में	Rajesh Kumar
लिंग	पुरुष/Male
वैवाहिक स्थिति	वर्तमान में विवाहित
जन्म तिथि	10/01/1990
आवेदक से सम्बन्ध	स्वयं

चित्र क्रमांक 18

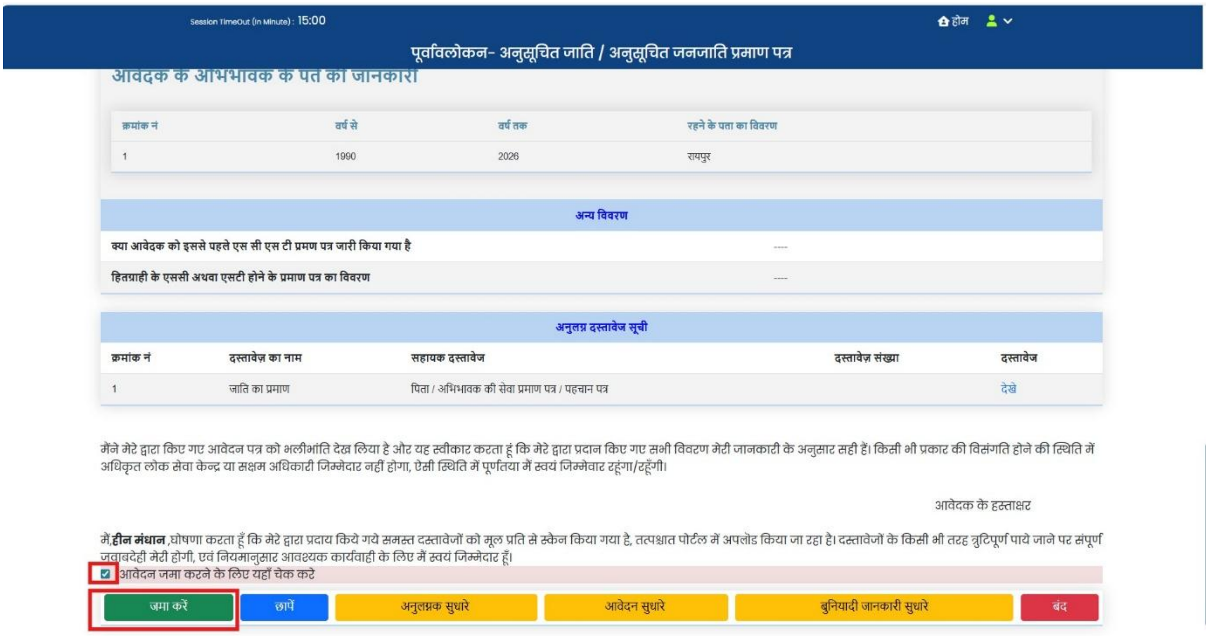

Session TimeOut (in Minute) : 15:00

होम

पूर्वावलोकन- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

आवेदक के अभिभावक के पते की जानकारी

क्रमांक नं	वर्ष से	वर्ष तक	रहने के पता का विवरण
1	1990	2026	रायपुर

अन्य विवरण	
क्या आवेदक को इससे पहले एस सी एस टी प्रमण पत्र जारी किया गया है	----
हितग्राही के एससी अथवा एसटी होने के प्रमाण पत्र का विवरण	----

अनुलग्न दस्तावेज सूची

क्रमांक नं	दस्तावेज़ का नाम	सहायक दस्तावेज	दस्तावेज़ संख्या	दस्तावेज
1	जाति का प्रमाण	पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र		देखे

मैंने मेरे द्वारा किए गए आवेदन पत्र को भलीभांति देख लिया है और यह स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अधिकृत लोक सेवा केन्द्र या सक्षम अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में पूर्णतया मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/रहूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं,**हीन मंधान** ,घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय किये गये समस्त दस्तावेजों को मूल प्रति से स्कैन किया गया है, तत्पश्चात पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। दस्तावेजों के किसी भी तरह त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर संपूर्ण जवाबदेही मेरी होगी, एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

आवेदन जमा करने के लिए यहाँ चेक करे

जमा करें | छापें | अनुलग्नक सुधारे | आवेदन सुधारे | बुनियादी जानकारी सुधारे | बंद

चित्र क्रमांक 19

चरण 7.1 घोषणा: घोषणा हेतु निर्धारित बॉक्स पर क्लिक करें।

चरण 7.2: घोषणा पर क्लिक करते ही ***"जमा करें"*** बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा।

चरण 8: शुल्क का भुगतान

चित्र क्रमांक 17

चरण 8.1: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

चरण 8.2: "जमा करें" पर क्लिक करें।

नोट:

- लोकसेवा केंद्र/ सीएससी/कियोस्क के लिए सेवा शुल्क रु. 30 निर्धारित है।
- अधिकतम पाँच दस्तावेज़ों तक स्कैनिंग निःशुल्क है।
- इसके अतिरिक्त और कोई शुल्क देय नहीं है।

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात् पावती जेनरेट होती है। इसमें **आवेदन संदर्भ क्रमांक** देखा जा सकता है। इस पावती का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।

पावती (लोक सेवा गारंटी)

आवेदन सारांश:

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	0704012601000001
आवेदन दिनांक	22-01-2026
सेवा का नाम	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
भुगतान का विवरण	लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क 30.00; स्कैनिंग शुल्क 0.00
कुल भुगतान शुल्क	30.0
भुगतान का तरीका	ई-वॉलेट
सेवा की नियत तिथि	09-03-2026
प्रदेय विवरण (प्रमाण पत्र, नगद प्राप्ति, आदेश की प्रति)	प्रमाण पत्र

कार्यालय	
कार्यालय प्रकार	उप-जिला / राजस्व तहसील / राजस्व उप-तहसील
जिला	रायपुर
उप-जिला / राजस्व तहसील / राजस्व उप-तहसील	रायपुर तहसील
राजस्व ग्राम	अमलीडीह

आवेदक का विवरण	
नाम	
पता	
जिला	रायपुर
राज्य	छत्तीसगढ़
ईमेल	
मोबाइल नंबर	

किसी भी पूछताछ के लिये अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में संपर्क करें

लोक सेवा केंद्र / सी.एस. सी./ चॉइस केंद्र का विवरण	
नाम	
पता	
मोबाइल नंबर	

मुहर एवं हस्ताक्षर

नोट: 1.यदि वैध शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी राशि की मांग की जाती है तो 0771-4013758 नंबर पर संपर्क करे |

2.आवेदन शुल्क रु. 30 (तीस रुपये मात्र) तथा समुचित वांछित दस्तावेज प्राप्त करते समय रु. 5 (पांच रुपये मात्र)

चित्र क्रमांक 20

आवेदन संदर्भ क्रमांक की सहायता से आवेदन की स्थिति छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर देखी जा सकती है।

उपयोगी जानकारी:

- *आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित 22 दिनों की समय-सीमा के अंदर आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।*
- *ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।*
- *अनुसूचित जाति अथवा जनजाति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत इसकी डिजिटल प्रति ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।*